न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 19/2025 तारीख रजू:– 17.11.2025

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. भगवान सिंह	पिसरान	समस्त जाति गुर्जर,
2. रमेश सिंह	मोहरसिंह	निवासी क्यारदाखुर्द,
3. सुबुद्धि राम		तहसील हिण्डौनसिटी,
4. लच्छो बेवा हंसराम		जिला करौली,
5. राजेश	पिसरान	राजस्थान ।
6. मुकेश	हंसराम	
7. सुमन बाई		
8. सीमा		
9. मुनेश		

————प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली राजस्थान ———— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 –111 एल.आर. एक्ट

बाबत् करवाये जाने पत्थरगढी

उपस्थित :–1. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय

दिंनाक :–15.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि सायलान संख्या 01 लगायत 03 तथा 04 लगायत 09 के पति व पिता हंसराम के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1279 रकवा 27 एयर, 1280 रकवा 20 एयर, 1281 रकवा 30 एयर, 1282 रकवा 18 एयर तथा 1296 रकवा 41 एयर कुल किता 05 कुल रकवा 1.36 है0 स्थित ग्राम क्यारदाखुर्द है तथा उक्त आराजीयात में सायलान संख्या 01 ता 03

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिस्सा 1/4–1/4 के तथा सायलान संख्या 04 लगायत 09 के पति व पिता हंसराम हिस्सा 1/4 के संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं तथा हंसराम का स्वर्गवास हो जाने से सायलान संख्या 04 लगायत 09 उसके विधिक वारिस होने से उसके हिस्से की आराजीयात पर काबिज व दखील हैं. इस प्रकार सायलान उक्त आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा सायलान ने खसरा नम्बर 1282 रकवा 18 एयर में पूर्व से ही अपनी उक्त अन्य आराजीयात में आवागमन हेतु निजी रास्ता बना रखा था, इस कारण से उक्त खसरा नम्बर की किस्म को जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियों ने गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया, जबकि उक्त भूमि सायलान खातेदारान की है. जिससे अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध व वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि सायलान ने आराजी मुतज़िका मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र में वर्णित अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1282 रकवा 18 एयर स्थित ग्राम क्यारदाखुर्द, तहसील हिण्डौन में अपनी अन्य आराजीयात में आने–जाने हेतु मौके पर रास्ता कायम कर रखा है तथा उक्त रास्ते में उनकी तीन गेह दोपल्ला पाटौर डली हुई हैं, जिसको सायलान ईंधन, लकड़ी इत्यादि रखने के उपयोग में लेते चले आ रहे हैं। उक्त रास्ते की आराजी जो कि सायलान की खातेदारी की भूमि है से अन्य किसी का कोई लेनादेना नहीं है तथा सायलान की उक्त आराजी की सीमायें निश्चित रूप से निर्धारित न होने के कारण सायलान अपनी भूमि पर तारंबादी भी नहीं कर पा रहा है तथा आसपास के अन्य खातेदार सायलान की उक्त खातेदारी के रास्ते पर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं, जिससे आये दिन झगड़ा–फसाद की सम्भावना बनी रहती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि सायलान शान्तिप्रिय व मेहनत मजदूी करने वाले तथा कानूनी कायदे को मानने वाले व्यक्ति हैं तथा अपनी उक्त खसरे की भूमि की सीमायें निश्चित नहीं होने से भूमि में तारंबादी व पत्थरगढ़ी नहीं कर पाने के कारण उन्हें काफी आर्थिक क्षति हो रही है। इस सम्बन्ध में सायल के द्वारा तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करने के लिये दिनांक 10.11.2025 को निवेदन किया तो उन्होंने इस सम्बन्ध में श्रीमान न्यायालय में चाराजोही करने के लिये कहा। इसलिये सायलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

की भूमि खसरा नम्बर 1282 रकवा 18 एयर स्थित ग्राम क्यारदाखुर्द, तहसील हिण्डौन का मौके पर सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढ़ी कराया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है, ताकि मौके पर भूमि की स्थिति स्पष्ट होकर सायलान उसमें तारंबादी या बाउण्ड्रीवाल कर भूमि का शान्तिपूर्ण तरीके से उपयोग उपभोग कर सकें।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम क्यारदाखुर्द, तहसील हिण्डौन, जिला करौली में स्थित है. इसलिये उक्त प्रकरण की सुनवाई का श्रीमान को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र नीयत शुल्क 2 रूपये पर अन्दर अवधि पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सायलान की खातेदारी व उपयोग उपभोग की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1282 रकवा 18 एयर, स्थित ग्राम क्यारदाखुर्द, तहसील–हिण्डौनसिटी का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के गैरसायल को आदेश प्रदान करें और इस हेतु गैरसायल को तहरीर जारी फरमायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तबल किया गया। अप्रार्थी ने पत्रांक भू.अ./2026/4726 दिनांक 05.01.2026 के माध्यम से प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि मु.नं. 19/2025 उनवान भगवान सिंह आदि बनाम तहसीलदार हिडौन धारा 128 में जाँच रिपोर्ट पटवारी द्वारा बिन्दुवार निम्न रिपोर्ट पेश की है–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2071–74 खाता सं. 445 ग्राम क्यारदा खुर्द के अनुसार ख.नं. 1279 रकवा 0.27 है. ब.नं. 1280 रकवा 0.20 है. ख.नं. 1281 रकवा 0.30 है. 1282 रकवा 0.18 है. ख.नं. 1296 रकवा 0.41 है. कुल किता 5 रकवा 1.36 है. की खातेदारी भगवान सिंह पुत्र मोहरसिंह हिस्सा 1/4 मुकेश पुत्र हंसराम हिस्सा 1/24 मुनेश कुमारी पुत्री हंसराम हिस्सा 1/24 रमेश सिंह पुत्र मोहरसिंह हिस्सा 1/4 राजेश सिंह पुत्र हंसराम हिस्सा 1/24 लच्छो देवी पत्नि हंसराम हिस्सा 1/24 सुमन पुत्री हंसराम हिस्सा 1/24 सीमा बाई पुत्री हंसराम हिस्सा 1/24 सुबुद्धि राम पुत्र मोहरसिंह हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर रमेश सिंह का हिस्सा राहिन PNB शाखा महू

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

एवं सुबुद्धि राम का हिस्सा राहिन BOI शाखा हिण्डौन दर्ज रिकार्ड है। ख.नं. 1282 रकवा 0.18 है0 उपरोक्तान की ही खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02,3,4, में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 2,3,4 कानूनी है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र की बिन्दू संख्या 5 स्वीकार है।

प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 पेश की हैं।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.18 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी भगवानसिंह पुत्र मोहरसिंह हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0 हिण्डौन खातेदार, रमेशसिंह पुत्र मोहरसिंह हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0 हिण्डौन खातेदार, सुबुद्धीराम पुत्र मोहरसिंह हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0 हिण्डौन खातेदार, हंसराम पुत्र मोहरसिंह हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0 हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.18 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन के प्रार्थी सं0 1 लगायत 3 हिस्सा 3/4 खातेदार काश्तकार है एवं हंसराम पुत्र मोहरसिंह हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0 हिण्डौन खातेदार फौत हो जाने के कारण उसके वारिसान प्रार्थी सं0 4 लगायत 9 खातेदार काश्तकार है। चूंकि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की किस्म गै0मु0 रास्ता है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.18 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन का विधिवत रूप से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी हैं। गै0 मु0 रास्ता की भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी नहीं है। इसलिए उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.18 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन का सीमाज्ञान कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128–111 एल.आर.एक्ट बाबत् करवाये जाने पत्थरगढी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.18 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन का नियमानुसार मौके पर सीमाज्ञान कराने की कार्यवाही करें। सीमाज्ञान की कार्यवाही से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए प्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 15.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
15/1/26